प्रकाशन का 42 वां वर्ष
सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक
ई-पेपर
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक
www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 43 अंक-45 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 05-12 नवम्बर 2018 मूल्य पांच रूपए

भूमि अधिनियम धारा 118 में दीपक सानन की स्थिति' "औरों को नसीहत खुद मियां फजीहत"

टीडी लाभ, स्टडीलीव और अब होम स्टे गैस्ट हाऊस भी सवालों में

शिमला/शैल। प्रदेश के भू-सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत कोई भी गैर कृषक प्रदेश में जमीन नही खरीद सकता है। इसके लिये सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। इसमें आवास के लिये पांच सौ वर्ग गज और दुकान आदि के लिये केवल तीन सौ गज जमीन ही खरीदी जा सकती है। बड़ी परियोजनाओं के लिये भी 118 के तहत ही जमीन खरीद की अनुमति मिलती है। लेकिन किस परियोजना के लिये जमीन खरीदी जा रही है इसका विवरण अनुमति के प्रार्थना पत्र में ही दर्ज रहता है। आवास, दुकान और परियोजना के लिये अलग-अलग प्रावधान परिभाषित हैं। इसमें स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति आवास के लिये 118 के तहत जमीन खरीद कर उस पर व्यवसायिक गतिविधि नही शुरू कर सकता है।

आवासीय परिसर के लिये जमीन खरीद कर उसमें अस्पताल बना लेना और वह भी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना इस आश्य की एक शिकायत पिछले दिनों प्रदेश के सेवानिवृत पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सानन ने मुख्य सचिव को सौंप रखी है। शिकायत के मुताबिक बड़ोग के होटल कोरिन, शिमला के तेनजिन अस्पताल और चम्बा के लैण्डलीज़ मामलों में सारे नियमों/कानूनों को अंगूठा दिखाते हुए भारी भ्रष्टाचार हुआ है। होटल कोरिन को लेकर यह आरोप है कि पीपी कोरिन और रेणु कोरिन ने 1979 /1981 में बड़ोग में होटल के लिये जमीन खरीद की अनुमति मांगी जो कि 1990 तक नही मिली। लेकिन इसी बीच होटल का निर्माण कर लिया गया और इस तरह यह मामला जमीन की अनुमति मिले बिना ही निर्माण कर लिये जाने का खड़ा हो गया। इस मामले में कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों के कार्यकाल में घपला होने का आरोप है।

इसी तरह शिमला के कुसुम्पटी स्थित होटल तेनजिन का मामला है। इसमें तेनजिन कंपनी ने 7.6.2002 को 471.55 वर्ग मीटर जमीन खरीद की अनुमति कंपनी का दफ्तर और आवासीय कालोनी बनाने के लिये मांगी और उसे यह अनुमति मिल गयी लेकिन कंपनी ने वहां दफ्तर और आवासीय कालोनी बनाने की बजाये वहां पर अस्पताल का निर्माण कर लिया और इस तरह धारा 118 के प्रावधानों का खुला उल्लघंन हुआ।

दीपक सानन अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व भी रहे हैं और इस नाते यह माना जाता है कि उन्हें राजस्व नियमों की पूरी जानकारी रही है। सानन की इन शिकायतों के अनुसार आवासीय कालोनी बनाने के लिये 118 के तहत अनुमति लेकर वहांअस्पताल का निर्माण नही किया जा सकता था। इस शिकायत के साथ ही यह सवाल खड़ा हो जाता है कि जो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी गैर कृषक और गैर हिमाचली होने के कारण यहां पर अपने आवास के लिये जमीन खरीद की अनुमति लेते हैं वह वहां पर आवास के अतिरिक्त उसका कोई अन्य उपयोग नही कर सकते हैं। ऐसा नही हो सकता कि व्यक्ति अपने आवास के लिये 118 के तहत अनुमति लेकर जमीन खरीदे और फिर उसमें दस कमरे किराये पर दे दे या वहां पर कोई गैस्ट हाउस या होम स्टे आदि शुरू कर दे।

सानन की इन शिकायतों के बाद सानन के अपने ही खिलाफ धारा 118 के दुरूपयोग का मामला सामने आया है। सानन के कुफरी क्षेत्र में भू-सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत अनुमति लेकर अपने नीजि आवास के लिये कुफरी में जमीन खरीदी है। वहां पर उन्होनें अपने आवास के साथ ही एक गैस्ट हाउस बना रखा है और उसमें पर्यटन विभाग से होम स्टे की अनुमति ले रखी है। लेकिन जब 118 के तहत जमीन खरीद की अनुमति ली गयी थी तब वहां पर आवास के साथ ही एक होमस्टे गैस्ट हाऊस बनाने की मंशा जाहिर नही की थी। यहां पर यह सवाल उठना स्वभाविक है कि सरकार अपने अधिकारियों/ कर्मचारियों के मकान के लिये जमीन खरीद की अनुमति सहजता से दे देती है। लेकिन क्या मकान की अनुमति लेकर उसमें गैस्ट हाऊस का निर्माण कर लेना नियमों का उल्लघंन नही है। क्योंकि यदि कोई गैस्ट हाऊस के लिये जमीन खरीद की अनुमति मागेगा तो उसे होटल जैसी ही औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेगी। फिर सरकार ने जो होम स्टे योजना 2008 में अधिसूचित की है उसके मुताबिक अधिक से अधिक तीन कमरे ही दिये जा सकते हैं। लेकिन दीपक सानने जो होम स्टे गैस्ट हाऊस चला रहे हैं उसमें कहीं अधिक कमरे हैं बल्कि एक तरह का होटल ही बन जाता है। इस तरह दीपक सानन ने धारा 118 के दुरूपयोग के जो आरोप दूसरों पर लगायें हैं यह होम स्टे चलाने के बाद वह स्वयं भी उन्हीं आरोपों के शिकार हो जाते हैं।

यही नहीं दीपक सानन ने इस मकान के लिये टी डी का लाभ भी लिया है। उन्होंने 4-11-2004 को टी डी के लिये आवेदन किया और 16-12-2004 को यह टी डी मिल भी गयी। जबकि भू सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत ज़मीन खरीद कर टी डी की पात्रता नहीं बनती है। सरकार के नियमों में यह पूरी स्पष्टता के साथ परिभाषित है। इसी तरह दीपक सानन ने सेवानिवृति से एक सप्ताह पहले तक जो स्टडी लीव लाभ लिया है वह भी एकदम नियमों के विरूद्ध है। क्योंकि इसके लिये जो आवेदन उन्होंने किया है उसमें स्वयं स्वीकारा है कि स्टडी लीव समाप्त होने के बाद तीन वर्ष का कार्यकाल शेष होना चाहिये। इस आवेदन में भी उनका तर्क यह रहा है कि सरकार ने ऐसा ही लाभ एक समय ओ पी यादव को दिया है और अब विनित चौधरी तथा उपमा चौधरी को भी यह लाभ मिला है जबकि उनके पास भी तीन वर्ष का कार्यकाल शेष नहीं था। दीपक सानन की जयराम सरकार में बहुत ऊंची पैठ है और इसी के चलते वह तीन-तीन कमेटीयों के सदस्य हैं। ऐसे में क्या जयराम सरकार इस अधिकारी के खिलाफ कोई कारवाई कर पायेगी इसको लेकर सशंय बना हुआ है।

(i) Home Stay

Any private house located in rural areas of the State in good condition and easily accessible in the country-side i.e. within the Farm House, Orchards, Tea-Gardens etc. will primarily qualify under the Scheme. The house shall fulfil the minimum requirement of having one or more room's accommodation subject to a maximum of three rooms to cover under the scheme with attached toilet facility which will be made available to the tourists as Home Stay accommodation. The promoters are at liberty to submit fresh proposals for approval for setting up Home Stay in the country-side under the "Himachal Pradesh Home Stay, Scheme 2008"

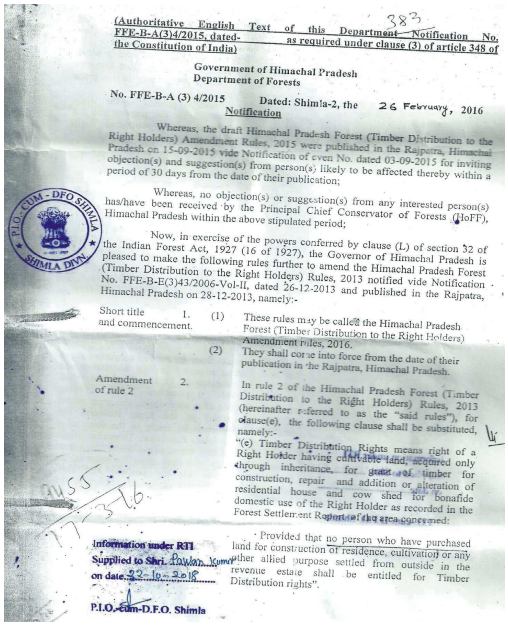

Form No. 15 DUPLICATE

FOREST DEPARTMENT HIMACHAL PRADESH

Shimla DIVISION

Permit Nº 030428 Book No. 305

Name Sh. Deepak Sanan S/o Sh. Satya Pal Sanan

Residence Purani Koti P.o. Mashobra Teh & Distt Shimla (H.P.)

Date of expiry of grant	Description of timber or other produce	No. of quantity	Rate	Amount Rs.	P.	Remarks
2	3	4	5	6		7
One Month	Deodar I A one	4.021	41/-	4=	00	For Construction of New House

Date 16/12/2004

Block Officer MASHOBRA Range

F.D.P.P. Kalaghat Solan 3081—16-8-2002—400 Books

(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-A(3)4/2015, dated- as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Department of Forests

No. FFE-B-A (3) 4/2015 Dated: Shimla-2, the 26 February, 2016

Notification

Whereas, the draft Himachal Pradesh Forest (Timber Distribution to the Right Holders) Amendment Rules, 2015 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 15-09-2015 vide Notification of even No. dated 03-09-2015 for inviting objection(s) and suggestion(s) from person(s) likely to be affected thereby within a period of 30 days from the date of their publication;

Whereas, no objection(s) or suggestion(s) from any interested person(s) has/have been received by the Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Himachal Pradesh within the above stipulated period;

Now, in exercise of the powers conferred by clause (L) of section 32 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Forest (Timber Distribution to the Right Holders) Rules, 2013 notified vide Notification No. FFE-B-E(3)43/2006-Vol-II, dated 26-12-2013 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 28-12-2013, namely:-

Short title and commencement. 1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Forest (Timber Distribution to the Right Holders) Amendment rules, 2016.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Amendment of rule 2 2. In rule 2 of the Himachal Pradesh Forest (Timber Distribution to the Right Holders) Rules, 2013 (hereinafter referred to as the "said rules"), for clause(e), the following clause shall be substituted, namely:-

"(e) Timber Distribution Rights means right of a Right Holder having cultivable land, acquired only through inheritance, for grant of timber for construction, repair and addition or alteration of residential house and cow shed for bonafide domestic use of the Right Holder as recorded in the Forest Settlement Report of the area concerned:

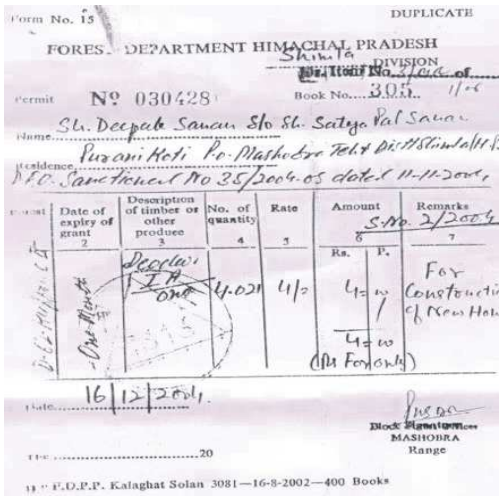

Provided that no person who have purchased land for construction of residence, cultivation or any other allied purpose settled from outside in the revenue estate shall be entitled for Timber Distribution rights".

Information under RTI Supplied to Shri. Pawan Kumar on date 22-10-2018

P.I.O.-cum-D.F.O. Shimla

राज्यपाल ने किया अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का शुभारम्भ

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि में नशे का बढ़ना चिंता का विषय है। इसलिये हम सबको मिलकर

नशामुक्त हिमाचल बनाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।

राज्यपाल रामपुर में चार दिवसीय लवी मेला के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। आचार्य देवव्रत ने कहा कि नशा देवभूमि में भी अपने पांव पसार रहा है और युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं, जो हम सब के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार व पुलिस प्रशासन के सहयोग से इस दिशा में प्रभावी पग उठाए गए हैं, लेकिन हम सभी को मिलकर इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नशा एक परिवार से जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक बुराई है, जो देश की भावी पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक महत्व के त्यौहारों के आयोजन की आड़ में जो नशे व जुआ जैसे अवैध कार्य चलते हैं उन्हें बंद किया जाना चाहिए ताकि इन त्यौहारों की सार्थकता बनी रहे।

राज्यपाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय लवी मेला ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो न केवल व्यापारिक गतिविधियों बल्कि पौराणिक परम्पराओं के लिए भी विख्यात है। उन्होंने कहा कि अपनी उच्च संस्कृति को सुरक्षित रखने में भी यह मेला महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने लोगों से प्राकृतिक कृषि की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो जहरमुक्त खेती की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। उन्होंने लोगों को रासायनिक खेती के दुष्परिणामों से अवगत करवाया तथा कहा कि अत्याधिक रसायनों के उपयोग से हमने अपनी जमीनों को बंजर बना दिया है और जो अन्न व फल रसायनों के उपयोग से तैयार किए जा रहे हैं वह स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल रहे हैं। यही कारण है कि आज अनेक असाध्य रोग पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि रसायनिक कृषि के पश्चात्, जिस जैविक कृषि को अपनाने के लिए कहा जाता रहा है, वह भी रसायनिक कृषि से कम घातक नहीं है। इससे भी किसानों की लागत बढ़ रही है और पहले तीन सालों में कृषि उपज भी कम होती है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि आज विकल्प बनकर हमारे सामने है, जिसे अपनाकर हम न केवल अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं बल्कि पानी की कम खपत होगी और यह कृषि पर्यावरण मित्र भी है। इससे किसानों का लागत मूल्य खत्म हो जाएगा और निश्चित तौर पर आय दो गुणा से अधिक होगी।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि भारतीय नस्ल की गाय पर आधारित है। इससे अपनाने से स्थानीय नस्ल की गाय की रक्षा भी होगी। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे स्थानीय नस्ल की गायों को सड़कों पर न छोड़ें और उनकी उपयोगिता को समझते हुए नस्ल सुधार पर कार्य करें।

राज्यपाल ने लोगों को अंतरराष्ट्रीय लवी मेले की बधाई दी तथा जिला प्रशासन की व्यापक व्यवस्था के लिए सराहना की।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने लवी मेले में विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया। उन्होंने किन्नौरी मार्केट में बिक रहीं वस्तुओं के प्रति खासी रूचि दिखाई।

इस अवसर पर, मुख्य सचेतक एवं विधायक नरेन्द्र बरागटा ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्यपाल के मार्गदर्शन में प्राकृतिक कृषि को व्यापक स्तर प्रचारित किया जा रहा है ताकि किसानों और बागवानों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि वैकल्पिक पद्धति के तौर पर हमारे सामने है, जिसका सबको लाभ लेना चाहिए ताकि भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ किए गए जन मंच कार्यक्रम के सार्थक परिणाम सामने आए रहे हैं और यह एक मजबूत मंच बनकर उभरा है जहां लोगों की समस्याओं का सामाधान मौके पर सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के कल्याण के लिए प्रयासरत है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गतिशील नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को विभिन्न परियोजनाओं के लिए उदार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।

किसानों तक पहुंचायें शोध का लाभःराज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने चौधरी सरवण कुमार हि.प्र. कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में सीनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शून्य लागत प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिये समर्पित प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसे लेकर ग्राम स्तर से आन्दोलन आरम्भ करने की आवश्यकता है। उन्होंने वैज्ञानिकों से कृषि क्षेत्र में किये जा रहे शोध के लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिये अतिरिक्त प्रयास करने को कहा।

राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना प्रधानमंत्री की परिकल्पना है और हमें इस दिशा में योगदान करना चाहिए तथा किसान समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि शून्य लागत प्राकृतिक कृषि प्रणाली रासायनिक तथा जैविक कृषि का एक मात्र विकल्प है और यह प्रणाली सुरक्षित भी है तथा इसमें किसानों की आय को दोगुना करने की क्षमता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत उत्पादन लागत शून्य हो जाती है और उत्पाद जहर-मुक्त होते हैं। इससे जमीन की उत्पादकता बढ़ती है, पानी के कम उपयोग की आवश्यकता पड़ती है, मित्र कीटों का बचाव होता है तथा गुणवत्तायुक्त उत्पादों की पैदावार होती है।

उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय राज्य में कृषि, पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान के क्षेत्र में आवश्यकता आधारित अनुसंधान के लिए जाना जाता है और व्यापक प्रशिक्षण सहित किसानों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर किसानों को उनकी आर्थिकी में सुधार करने में सहायता कर रहा है।

उन्होंने कहा कि किसानों से सीधे तौर पर जुड़े कृषि कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

चौधरी सरवण कुमार हि.प्र. कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति प्रो. अशोक कुमार सरियाल ने राज्यपाल को विवि की प्रगति व अन्य गतिविधियों से अवगत करवाया।

खेलों के माध्यम से नशे के खिलाफ अभियान चलाने की जरूरतः राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है और इसके खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से युवाओं में जागृति लाकर नशे के खिलाफ माहौल तैयार करने की आवश्यकता है।

राज्यपाल शिमला जिले के उपमण्डल रोहडू में आयोजित टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बोल रहे थे। प्रतियोगिता का आयोजन हिमाचल प्रदेश खेल, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण संघ द्वारा किया गया था। इस प्रतियोगिता के लिए संघ द्वारा नारा दिया गया था-''आओ नशा छोड़ें-खेल खेलें''।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि खेलों के माध्यम से नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया गया है, उसके लिए संघ बधाई का पात्र है। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा न मिले तो वह गलत रास्ते का चयन कर सकता है। उन्होंने खेद जताया कि देव भूमि भी नशे जैसी सामाजिक बुराई से अछूती नहीं रही है और यहां पर भी नशे जैसे गैर कानूनी कार्यों में लोग संलग्न पाए जाते हैं। इससे समाज को बचाने के लिए खेलों के माध्यम से अभियान चलाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी नशे के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। यह राजनीतिक मामला नहीं है। नशा हर परिवार को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यह हमारा कर्त्तव्य बनता है कि हम इस अभियान का हिस्सा बनें और प्रदेश को नशे से मुक्त करें। उन्होंने कहा कि हमारे सांस्कृतिक मूल्य काफी उन्नत रहे हैं और देवभूमि में नशे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि नशा करने वाला व्यक्ति बुद्धिहीन हो जाता है और वह समाज और देश के काम नहीं आ सकता।

इस अवसर पर राज्यपाल ने विजेता टीम को बधाई दी। उन्होंने आशा की कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजनों के माध्यम से युवाओं को जागृत किया जाएगा।

इस अवसर पर, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि खेल मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि आज कुछ युवा नशे की बुराई का शिकार हो रहे हैं। इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं इस दिशा में अच्छा कदम है और इससे युवा आगे आकर नशे के खिलाफ माहौल तैयार करने में सहयोग करेंगे।

विधायक एवं हिमाचल प्रदेश खेल, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण संघ के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा कहा कि संघ के माध्यम से अनेक सामाजिक बुराइयों के खिलाफ इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, जिनसे सामाजिक चेतना पैदा की जा सके। उन्होंने कहा कि एक माह तक चली इस प्रतियोगिता में करीब 437 टीमें शामिल हुई और 6000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। यह एक शुरूआत है और भविष्य में इससे बडे स्तर पर आयोजन किए जाएंगे।

राज्यपाल ने इस अवसर पर नशे के विरूद्ध शपथ भी दिलाई। इससे पूर्व, राज्यपाल ने जुब्बल की विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की तथा उप-विजेता कुसुम्पटी की टीम को भी पहले रनर-अप का पुरस्कार प्रदान किया।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDERS

The Executive Engineer, Nurpur Division HPPWD, Nurpur-176202 on behalf of the Governor of Himachal Pradesh invites e-tender on item rate basis, from approved and eligible contractors registered with HPPWD for the following work.

Sr.No.	Division	Name of work	Estimated Cost	EMD	Time allowed for completion (Months)	Cost of Document	Class of contractor /Firms	Location/ Office where e-tenders will be opened	Date and time of opening of Tenders
1.	Nurpur	C/O missing CD on Aghar to Gangath road kms 0/0 to 10/0 (SH: - C/O 2.00mtr. span RCC slab Culvert at RD 5/200 with wing wall and up-stream Breast wall).	Rs.283947/-	Rs.5700/-	One month	350/-	Class-D	Nurpur Division, HP.PWD.	12th December 2018
2.	Nurpur	C/O missing CD on Thathar to Sarnooh road (SH: - C/O 6.00mtr. span RCC slab Culvert at RD 1/035 except approaches).	Rs.631701/-	Rs.12650/-	One month	350/-	Class-D.	Nurpur Division, HP.PWD	12th December 2018
3.	Nurpur	C/O missing CD on Ghatot to Nawasheher road (SH:- C/O solid causeway at RD 1/650 L-70 mtr.).	Rs.623441/-	Rs.12500/-	One month	350/-	Class-D.	Nurpur Division, HP.PWD	12th December 2018
4.	Nurpur	C/O missing CD on Geora (Gujar-Ka-Talab) to Raja-ka-Bag via Naglahar road (SH:- C/O 2.Nos 1.50 mtr. span RCC slab culvert at RDs 1/ 900 & 2/170).	Rs.548830/-	Rs.11000/-	One month	350/-	Class-D.	Nurpur Division, HP.PWD	12th December 2018
5.	Nurpur	C/O missing CD on BTNSN road kms 0/0 to 19/ 500 (SH: - C/O 2.00 mtr. Span RCC slab culvert at RD 9/065 with wing walls and U/S Breast wall).	Rs.283947/-	Rs.5700/-	One month	350/-	Class-D.	Nurpur Division, HP.PWD	12th December 2018
6.	Nurpur	C/O missing CD on Krari-di-Khuhi Golwan Chounka road (SH: - C/O 2.00 mtr. Span RCC slab culvert at RD 4/050).	Rs.242821/-	Rs.4900/-	One month	350/-	Class-D.	Nurpur Division, HP.PWD	12th December 2018
7.	Nurpur	C/O missing CD on Bansa-da-More to Golwan Chhatter road (SH: - C/O 3.00 mtr. Span RCC slab culvert at RD 0/212 with downstream protection).	Rs.324501/-	Rs.6500/-	One month	350/-	Class-D.	Nurpur Division, HP.PWD	12th December 2018
8.	Nurpur	C/O missing CD on link road Dadwara Sakri road (SH: - C/O 1.50 mtr. Span RCC slab culvert at RD 2/300).	Rs.274415/-	Rs.5500/-	One month	350/-	Class-D.	Nurpur Division, HP.PWD	12th December 2018
9.	Nurpur	C/O missing CD on Bharal Minta Bhatoli road kms 0/0 to 7/050 (SH: - C/O 900 dia hume pipe culvert at RD 3/210 and 1.00 mtr. Span RCC slab culvert at RD 1/160 at junction).	Rs.273824/-	Rs.5500/-	One month	350/-	Class-D.	Nurpur Division, HP.PWD	12th December 2018

1. Tender documents, other instructions and terms and conditions can be downloaded or viewed on line from the portal http://hptenders.gov.in by the firms/individual registered on the website which is free of cost.
2. As the bids are to be submitted online are required to be encrypted and digitally signed.
3. Key Dates:-

1. Date of online publication	28/11/2018 at 11.30 AM
2. Downloading of e-tender document	From 28/11/2018 at 11.30 AM up to 11/12/2018 at 4:00 PM
3. Date of submission of e-tendering	From 28/11/2018 at 11.30 AM up to 11/12/2018 at 4:00 PM
4. Physically submission of earnest money deposit and cost of tender	12/12/2018 up to 11:00 AM
5. Date of technical bid opening, evaluation of technical bid followed by financial bid	12/12/2018 at 11.30 AM

Adv. No.:3167/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
मिनाक्षी शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को विकसित करने पर दे रही बल: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन के सतत विकास व मौजूदा पारिस्थितिकी और पर्यावरण को बनाए रखते हुए पर्यटन क्षेत्र में अधोसंरचना के विकास के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने चण्डीगढ़ में भारतीय पर्यटन कार्यशाला के समापन सत्र में बोलते हुए कहा। सम्मेलन का आयोजन सैंटर फॉर इकॉनोमिक पॉलिसी रिसर्च चण्डीगढ़ द्वारा एचपीटीडीसी, हरियाणा टूरिज्म, उत्तर प्रदेश टूरिज्म, पंजाब टूरिज्म और उत्तराखण्ड टूरिज्म के सहयोग से किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ इसमें रोजगार व स्वरोजगार की भी अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि गोवा देश में एक ऐसा राज्य है, जिसकी आर्थिकी पर्यटन पर निर्भर है तथा पर्यटन के क्षेत्र में अपार प्रगति की है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों को भी इससे सीख लेते हुए अपनी आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए पर्यटन को एक बड़ा साधन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए यहां का शांत वातावरण एक प्रमुख आकर्षण है। उन्होंने कहा कि राज्य को अपने स्वच्छ तथा प्रदूषणमुक्त वातावरण को बढ़ावा दे रहा है तथा राज्य के 67 प्रतिशत भाग पर वन आवरण है।

जय राम ने कहा कि राज्य में छः गंतव्यों बद्दी, शिमला, रामपुर, नाथपाझाकड़ी, मण्डी और मनाली को उड़ान-2 में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार देश की ऐसी पहली सरकार है, जिसने सप्ताह में तीन दिन राज्य के सरकारी हैलीकॉप्टर को शिमला से चण्डीगढ़ के बीच हैली टैक्सी सुविधा के लिए उपलब्ध करवाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक रोपवे बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य सरकार तथा पंजाब सरकार के बीच आनन्दपुर साहिब और नयना देवी जी के बीच रोपवे बनाने के लिए समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस रोपवे का निर्माण वर्ष 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक से 1900 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत करवाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि शिमला जिले के चांशल को स्की साईट के रूप में, मण्डी जिले के जंजैहली को इको टूरिज्म के दृष्टिगत, कांगड़ा जिले के पौंग बांध को जल क्रीड़ा तथा कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग को पैराग्लाईडिंग के लिए इस परियोजना के अन्तर्गत विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों में बेहतर सड़क सुविधा सुनिश्चित करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के तीन हवाई अड्डों का विस्तार करके बेहतर हवाई कनेक्टीविटी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदेश के अन्छूए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान से 'नई राहें-नई मंजिलें' नामक योजना आरम्भ की है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि गुजरात में निर्मित स्टेचू ऑफ यूनिटी अपने आप में एक अजूबा है तथा यह एक प्रमुख पर्यटन गन्तव्य के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि इसने एक दिन में 27000 पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचनात्मक परियोजनाएं जैसे सड़कों, रिजॉर्ट, मनोरंजन पार्क, गोल्फ कोर्स तथा फिल्म सिटी आदि के निर्माण के लिए सरकारी निजी सहभागिता पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 'स्वदेश दर्शन कार्यक्रम' के तहत प्रदेश के लिए 100 करोड़ रुपये का हिमालयन सर्किट स्वीकृत किया है, जिसका कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले दो नए सर्किट प्रस्तावित किए हैं, जो कि इको टूरिज्म तथा साहसिक और धार्मिक सर्किट होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्रालय ने 'प्रसाद' योजना के अन्तर्गत ऊना जिले में माता चिंतपूर्णी मन्दिर के लिए 50 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य और अच्छी सेहत वाले पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करेगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में पहल करते हुए सरकार ने मण्डी जिले के जंजैहली में वैलनेस और हैल्थ टूरिज्म सेंटर शुरू करने का फैसला लिया है। इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों जैसे सोझा, झटींगरी, राजगढ़, बीड़बिलिंग आदि क्षेत्रों को भी इसी तर्ज पर विकसित किया जाएगा। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य में साहसिक गतिविधियों जैसे पैराग्लाईडिंग, नौकायन, जल क्रीड़ाओं, स्कींग आदि की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुरक्षा नियमों को देखते हुए प्रदेश के लिए जल क्रीड़ा नियम बना रही है।

नोटबंदी आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा घोटाला:सुक्खु

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए जिला कुल्लू के निरमंड से केंद्र व प्रदेश सरकार के कारनामों की पोल खोल अभियान की शुरूआत करते हुए भाजपा को विभिन्न जिलों में पार्टी कार्यालयों के लिए जमीन खरीद मामले को लेकर कटघरे में खड़ा किया।

नोटबंदी को आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा घोटाला करार देते हुए सुक्खू ने इल्जाम लगाया कि भाजपा नेताओं ने नोटबंदी के बाद काले धन को बड़ी मात्रा में रातोंरात सफेद किया पार्टी भी पीछे नहीं उसने भी काले धन को सफेद करने के लिए पार्टी कार्यालयों के लिए जमीनें खरीदीं। वह निरमंड में जनसभा में बोल रहे थे। सुक्खू ने एलान किया कि प्रदेश की जयराम सरकार का एक साल पूरा होने पर कांग्रेस की ओर से लाई जा रही चार्जशीट में भाजपा से यह भी पूछा जाएगा कि पार्टी कार्यालयों के लिए जमीन खरीदने को धन कहां से आया। हमीरपुर में तो भाजपा के पास पहले से कार्यालय हैं फिर क्यों जमीन खरीदी गई। सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने काला धन सफेद करने के लिए ही दफ्तरों के नाम पर जमीनें खरीदी हैं। सुक्खू ने कहा कि आगामी चुनावों में यह मामला जनता की अदालत में जाएगा।

उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान 120 लोग मारे गए और अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। लाखों युवा बेरोजगार हुए हैं। अनेकों उद्योग बंद हो गए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। निजी कंपिनयों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रो पदार्थों को न तो जीएसटी के दायरे में लिया न ही उनकी कीमत बढ़ोतरी पर सरकारी नियंत्रण रखा है। सुक्खू ने कहा कि जनता भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। मोदी व भाजपा ने हिमाचल के साथ झूठे वादे किए। एक भी वादा भाजपा की केंद्र सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में पूरा नहीं हुआ।

देहा, ठियोग और नेरूवा के प्राईमरी स्कूलों में छापेमारी

शिमला/शैल। प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से ठियोग, देहा और नेरूवा शिक्षा खंड में किए औचक निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई हैं। देहा शिक्षा खंड के तहत प्राथमिक पाठशाला तारापुर में अध्यापकों ने दो बजे ही स्कूल से छुटटी कर दी थी। इन तीनों शिक्षा खंडों में उपशिक्षा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा श्रवण कुमार व उनकी टीम ने औचक निरीक्षण किया। टीम ने प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में भी छापेमारी की व छापेमारी के दौरान पाया कि शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपस्थिति रजिस्टर में भी अनयिमितताएं हैं।

श्रवण कुमार ने कहा कि तारापुर स्कूल में दो बजे छुट्टी करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट तलब की गई हैं। उन्होंने कहा हाजिरी को लेकर रजिस्टर में गड़बड़ पाया जाना भी संगीन हैं। इस बावत भी दो दिन में रिपोर्ट तलब की गई हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने नेरूवा शिक्षा खण्ड के कई स्कूलों का निरीक्षण किया व कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया।

27 करोड़ में बनेगा डीमकटारू पर्यटन संस्कृति केन्द्र:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी और सन्तुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो अब तक उपेक्षित रहे हैं। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सराज मंडल मिलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का दस महीने का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा है और राज्य केंद्र सरकार से 9000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर करवाने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उदारता के कारण सम्भव हो पाया है। उन्होंने कहा कि यही नहीं, बल्कि लाहौल-स्पीति जिले में हाल ही के असामयिक हिमपात के दौरान राज्य को केन्द्र सरकार ने हर संभव सहायता प्रदान की और केंद्र द्वारा प्रदान किए गए सात हेलीकॉप्टरों द्वारा सैकड़ों फंसे लोगों को हवाई जहाज से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि मंडल मिलन कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा ताकि राज्य सरकार और पार्टी के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि सराज विधानसभा को राज्य के आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, पार्टी के विभिन्न संगठनों जैसे किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम नियमित तौर पर किए जाएंगे ताकि पार्टी को सभी स्तरों पर मजबूत किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बालीचौकी में स्वीकृत खण्ड विकास कार्यालय क्षेत्र के लोगों की लंबित मांगों को पूरा करने में लाभकारी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही लोगों की सुविधा के लिए थुनाग में संयुक्त कार्यालय (मिनी सचिवालय) की नींव रखेंगे। उन्होंने कहा कि थाची में डिग्री कॉलेज के निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार सराज क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है, क्योंकि यहां के लोगों के समर्थन के कारण ही इस क्षेत्र को राज्य का नेतृत्व करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जंजैहली क्षेत्र के दौरे के दौरान उन्होंने 55 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की आधाशिलाएं रखी हैं, जो क्षेत्र में प्रगति, विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित करेंगी। उन्होंने कहा कि डीमकटारू में पर्यटन संस्कृति केंद्र का निर्माण किया जाएगा जिससे राज्य में पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए 27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार क्षमता है और इसका एक योजनाबद्ध और टिकाऊ तरीके से दोहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जंजैहली को पारिस्थितिक पर्यटन परियोजना के तहत लाया गया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि बालीचौकी क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति योजना प्रदान करने के लिए 41 करोड़ रूपये मंजूर किए गए हैं और निकट भविष्य में जंजैहली में बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जंजैहली के हेलीपैड का शीघ्र निर्माण करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि इस खूबसूरत जगह पर आने के लिए पर्यटकों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जंजैहली को हेली टैक्सी सेवा के साथ जोड़ने के भी प्रयास किए जाएंगे।

सराज भाजपा मंडल के अध्यक्ष शेर सिंह ने बालीचौकी के लिए बीडीओ कार्यालय स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग पार्टी को मजबूत बनाने के लिए समर्पित रूप से कार्य करेंगे।

क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरि सिंह महंत और प्रधान ग्राम पंचायत थाची इस अवसर पर बीजेपी में शामिल हो गए।

लाहौल-स्पीति के लिए जून 2019 तक आवश्यक सामग्री भेजी गई

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने आगामी लगभग पांच महीनों तक भारी हिमपात के कारण शेष विश्व से कटे रहने वाले जनजातीय जिले लाहौल-स्पीति के लोगों के लिए सभी प्रकार की आवश्यक सामग्री की आपूर्ति कर दी है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जून, 2019 तक पर्याप्त राशन, रसोई गैस, पैट्रोल, मिट्टी तेल, लकड़ी तथा अन्य आवश्यक सामग्री भेजी लाहौल-स्पिति को भेजी जा चुकी है ताकि सर्दियों में घाटी के लोगों को राशन व अन्य आवश्यक सामग्री की कमी न हो।

प्रवक्ता ने कहा कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन, ईंधन, रसोई गैस, मिट्टी तेल आदि लाहौल-स्पीति तथा काजा के लोगों की आवश्यकता के अनुरूप भेज दिया है तथा जब तक सड़कें खुली हैं, और अधिक सामग्री भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार घाटी के लोगों की आवश्यकताओं व समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। इस वर्ष सितंबर माह में घाटी में हुए आसमयिक हिमपात तथा भारी वर्षा से फसलों तथा फलों को हुई भारी क्षति के दृष्टिगत सरकार ने अगले छः महीनों के लिए घाटी के सभी लोगों को बी.पी.एल. दरों पर राशन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। यही नहीं, राज्य सरकार इस जनजातीय जिले में चारे के परिवहन पर होने वाले व्यय का भी शत-प्रतिशत वहन स्वयं कर रही है। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने भारी वर्षा तथा बर्फबारी के कारण सेब की फसल को हुए नुकसान को देखते हुए घाटी के बागवानों से एचपीएमसी के माध्यम से 20 रुपये प्रति किलो की दर से फल खरीदा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सितंबर में लाहौल घाटी में फंसे लोगों को निकालने का मामला तुरंत केन्द्र सरकार से उठाया जिसके कारण केन्द्र सरकार ने सात हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाए तथा सभी लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया।

किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना।.....चाणक्य

सम्पादकीय

नोटबंदी के दो साल बाद भी...

नोटबंदी का फैसला आठ नवम्बर 2016 को लिया गय था। आज दो साल बाद भी विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री एवम् जाने माने अर्थशास्त्री डा. मनमोहन सिंह ने भी कहा है कि नोटबंदी के जख्म लम्बे समय तक पीड़ा देते रहेंगे। जबकि वित्त मन्त्री अरूण जेटली इस फैसले की वकालत यह कह कर रहें है कि इसके बाद टैक्स अदा करने वालों की संख्या बढ़ी है। यह सही है कि टैक्स अदा करने वालों की संख्या में करीब 80% की बढ़ौतरी हुई है। नोटबंदी से पहले यह संख्या 3.8 करोड़ जो अब बढ़ कर 6.4 करोड़ हो गयी है। लेकिन यह संख्या बढ़ने के और भी कई कारण हैं। केवल नोटबंदी से ही ऐसा नही हुआ है। यदि फिर भी जेटली के तर्क को मान लिया जाये तो यह सवाल उठता है कि क्या नोटबंदी टैक्स अदा करने वालों की संख्या बढ़ाने के लिये की गयी थी? क्या देश को यह बताया गया था कि इस उद्देश्य के लिये यह कदम उठाना अपरिहार्य हो गया है? शायद ऐसा कुछ भी नही कहा गया था। उस समय यह कहा गया था कि देश में कालाधन एक समान्तर अर्थव्यवस्था की शक्ल ले चुका है और इससे आतंकी गतिविधियों को फण्ड किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देश से पचास दिन का समय मांगा था और वायदा किया था कि उसके बाद हालात एकदम सामान्य हो जायेंगे।

नोटबंदी के दौरान बैंकों के आगे लगने वाली लम्बी कतारों में देश के सौ लोगों की जान गयी है। लाखों लोगों का रोजगार छिन गया है। निर्माण उद्योग अब तक उठ नही पाया है। छोटे और मध्यम उद्योग इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कालेधन को लेकर स्वामी रामदेव जैसे दर्जनों सरकार और मोदी के प्रशंसको ने इसके कई लाख करोड़ होने के ब्यान देकर एक ऐसा वातावरण देश के अन्दर खड़ा कर दिया था जिससे यह लगने लगा था कि सही में कालाधन एक असाध्य रोग बन चुका है। लेकिन अब जब आरबीआई ने पुराने नोटों को लेकर अपनी अधिकारिक रिपोर्ट देश के सामने रखी है तो उसमें यह कहा गया है कि 99.3% पुराने नोट केन्द्रिय बैंक के पास वापिस आ गये हैं। अर्थात 99.3% पुराने नोटों को नये नोटों से बदल लिया गया है। इस आंकड़े में नेपाल में वापिस आये नोट शामिल नही है। यदि यह अंकड़ा भी इसमें जुड़ जाये तो यह प्रतिशत और बढ़ जायेगा। आरबीआई के इस आंकड़े से दो ही सवाल खड़े होते हैं कि या तो देश में कालेधन को लेकर किया गया प्रचार गलत था निहित उद्देश्यों से प्रेरित था और केवल नाम मात्र ही था जो कि आरबीआई के ही 13000 करोड़ के आंकड़े से प्रमाणित हो जाता हैं। यदि कालेधन को लेकर प्रचारित हुए आंकड़े सही थे तो सीधा है कि नोटबंदी के माध्यम से उस कालेधन को सफेद में बदलने का काम किया गया है। इन दोनों स्थितियों में से कौन सी सही है इसका जवाब तो केवल प्रधानमन्त्री, वित्त मन्त्री ही दे सकते हैं और वह दोनों इस पर चुप हैं।

इस परिप्रेक्ष में आज स्थिति यहां तक आ गयी है कि मोदी सरकार आर बी आई से उसके रिजर्व फण्ड में से एक से तीन लाख करोड़ रूपये की मांग कर रही है क्योंकि चुनावी वर्ष में सरकार को खर्च करना चुनाव जीतने के लिये। इसी मकसद से तो सरकार 59 मिनट में एक करोड़ का कर्ज देने की योजना लेकर आयी हैं आरबीआई और केन्द्र सरकार के बीच इसी मांग को लेकर इन दिनो संबंध काफी तनावपूर्ण हो गये है क्योंकि आरबीआई सरकार की इस मांग का अनुमोदन नही कर रहा है। जबकि मोदी सरकार यह पैसा लेने के लिये आरबीआई एक्ट की धारा 7 के प्रावधानों को इस्तेमाल करने तक की चेतावनी दे चुकी है। आरबीआई और केन्द्र सरकार के बीच उभरे इस नये मुद्दे से यह सवाल भी खड़ा होता है कि यदि नोटबंदी का देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा होता और सरकार के अपने पास पैसा होता उसे आरबीआई के रिजर्व से मांगना नही पड़ता। इस मांगने से यह भी सामने आता है कि सरकारी कोष में इतना पैसा नही है जिससे सरकार की सारी चुनावी घोषणाओं को आंख बन्द करके पूरा किया जा सके।

यही नही एनपीए की समस्या और गंभीर हो गयी हैं। 31 मार्च 2018 को यह एनपीए 9.61 लाख करोड़ हो गया जबकि मार्च 2015 में यह केवल 2.67 लाख करोड़ था। इसमें भी सबसे रोचक तथ्य तो यह है कि 9.61 लाख करोड़ में से केवल 85,344 करोड़ ही कृषि और उससे संबधित उद्योगों का है। शेष 98% बड़े आद्योगिक घरानों का है। इस एनपीए को वसूलने के लिये कारगर कदम उठाना तो दूर इन बड़े कर्जदारो के नाम तक देश को नही बताये जा रहे हैं जबकि सर्वोच्च न्यायालय इन नामों को सार्वजनिक करने के निर्देश दे चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी यह नाम सुभाष अग्रवाल के आरटीआई आवेदन पर नही बताये गये। इसको लेकर अब देश के चीफ सूचना आयुक्त ने आरबीआई को कड़ी लताड़ लगाते हुए देश का पैसा डुबाने वालों के नाम उजागर करने के निर्देश दिये हैं। इन नामों को उजागर करने के लिये मोदी जेटली भी खामोश बैठे हैं और इसी से उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में नोटबंदी के दो साल बाद भी देश की अर्थव्यवस्था आज जिस मोड़ पर पहुंच चुकी है उससे स्पष्ट कहा जा सकता है कि नोटबंदी एक घातक फैसला था।

दिव्यांगजनों को विशिष्ट पहचान दिलाएगा स्वालंबन कार्ड

ऑनलाईन पंजीकरण के माध्यम से योजना का लाभ उठा सकते हैं दिव्यांग

दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा भी दिव्यांगों के कल्याण हेतु पर्सन विद डिसएबिलिटी अधिनियम- 1995 को संशोधित कर कई तरह के बदलाव किए गए हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के हितों के संरक्षण एवं उनको विभिन्न विभागों के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए स्वावलंबन कार्ड के अंतर्गत उनका एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जा रहा है।

दिव्यांग जनों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाईयों एवं उनके निदान की दिशा में यह योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अद्वितीय दिव्यांग पहचान पत्र (यूनीक डिसएबिलिटी आईडेंटिटी कार्ड) जारी कर रहा है जिसे साधारण भाषा में स्वावलंबन कार्ड भी कहा जाता है। इस कार्ड की वैधता समूचे देश में रहेगी और दिव्यांग व्यक्ति इसे अन्य पहचान पत्रों की तरह अपनी पहचान के लिए उपयोग में ला सकेगा। इस कार्ड के लाभ को देखते हुए केंद्र सरकार ने अद्वितीय दिव्यांग पहचान पत्र (यूडीआईडी) के लिए ऑनलाईन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है।

यह परियोजना दिव्यांग जनों को सरकारी लाभ देने के लिए पारदर्शी व कुशल ढंग से काम करना सुनिश्चित करेगी। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगों के पंजीकरण से खंड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा डाटाबेस तैयार किया जा सकेगा जिससे दिव्यांगों को आसानी से चिह्नित किया जा सकेगा। मंडी जिला में भी विभाग स्वावलंबन कार्ड तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है।

इस कार्ड को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। योजना के अंतर्गत ऑनलाईन पंजीकरण के लिए दिव्यांग व्यक्ति www.swavlamban card.gov.in पर आवेदन कर सकता है। इस लिंक पर क्लिक करने के उपरांत दिव्यांग व्यक्ति आवेदन पत्र के पीडीएफ फार्म डाऊनलोड कर सकता है। इसके अतिरिक्त आवेदनकर्ता लोक मित्र केंद्र या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है।

ऑनलाईन पंजीकरण के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज आवेदक को साथ लगाने होंगे। इनमें आधार कार्ड, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र निवासी प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा बैंक खाता विवरण शामिल है। इन दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन पंजीकरण के लिए सर्वप्रथम अधिकारिक वेबसाईट पर क्लिक करना होगा और उसके उपरांत पृष्ठ के दाहिनी ओर दिव्यांगता और यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन पर क्लिक करें। इसके उपरांत पंजीकरण करने के लिए सभी आवश्यक विवरण जिनमें व्यक्तिगत विवरण, रोजगार, दिव्यांगता एवं पहचान पत्र संबंधी विवरण भरने होंगे।

मंडी जिला में स्वावलंबन योजना के बारे में पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। पंचायत स्तर पर होने वाली ग्राम सभाओं, बैठकों व जन सहभागिता के अन्य कार्यक्रमों में योजना के बारे में जानकारी प्रदान कर दिव्यांगजनों की पहचान व उन्हें देय लाभों के बारे में जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी पात्र व्यक्तियों तक जानकारी पहुंचाने की रूपरेखा तय की गयी है। योजना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में भी सम्पर्क किया जा सकता है।

स्मार्ट कार्ड के माध्यम से पांच लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध

स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सस्ती व सुलभ विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने कई महत्वकांक्षी योजनाएं प्रारंभ की हैं। हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो रही है।

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार व पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना ही वर्तमान प्रदेश सरकार का ध्येय है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रस्तुत इस बार का स्वास्थ्य बजट देश के सभी राज्यों में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक स्वास्थ्य बजट आंका जा रहा है। लोगों को बिमारियों की दशा में नकदी रहित (कैशलैस) उपचार की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (हि. प्र. यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम) प्रारंभ की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों को जो अन्य योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना या अन्य सरकारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजनाओं के लाभार्थी नहीं हैं, अस्पताल में दाखिल होने पर नि:शुल्क चिकित्सा उपलब्ध करवाना है।

योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए एक परिवार के अधिकतम पांच सदस्य पात्र हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए एक हजार रुपए का प्रीमियम अदा करना होगा। पंजीकरण के लिए www.hpuhps.com पर लॉग इन कर सकते हैं। इस वेबसाईट पर पंजीकरण केंद्रों की सूची उपलब्ध है जहां पर जाकर लाभार्थी स्मार्ट कार्ड बनवा सकते हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों के लिए अस्पताल में दाखिल होने पर नि:शुल्क उपचार की राशि 30 हजार रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी है। योजना के अंतर्गत अधिकतम मामलों में पहले से मौजूदा शारीरिक स्थिति अथवा बिमारियों में भी लाभ प्रदान करने का प्रावधान है और आयुर्वेद पद्धति से उपचार को भी इसमें शामिल किया गया है।

योजना के अंतर्गत कुल 175 अस्पताल चिह्नित किए गए हैं जहां उपचार करवाने पर यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इनमें 151 सरकारी तथा 24 निजी अस्पताल शामिल हैं। उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पी.जी.आई.एम.आर. चंडीगढ़ में भी उपचार की सुविधा इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। यहां से नि:शुल्क उपचार के लिए एस.सी.ओ. संख्या 28, गोल मार्केट, पी.जी.आई. चंडीगढ़ में सम्पर्क किया जा सकता है। योजना के अंतर्गत चिह्नित किए गए सभी अस्पतालों की सूची भी वेबसाईट पर उपलब्ध है। मंडी जिला में नेताजी सुभाषचंद्र बोस क्षेत्रीय अस्पताल, मंडी के अतिरिक्त आयुर्वेदिक अस्पताल मंडी तथा जोगेंद्रनगर, सभी नागरिक अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इसमें शामिल किए गए हैं।

लाभार्थियों को पंजीकरण केंद्रों पर नामांकन के दौरान सत्यापन के लिए कुछ दस्तावेज साथ लाना आवश्यक है। इनमें आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र अथवा पैन कार्ड तथा परिवार के सदस्यों की पहचान के लिए राशन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कार्ड बनवाने की प्रक्रिया भी काफी सरल है। योजना की वेबसाईट पर साईन अप करने के उपरांत लाभार्थी अपना व परिवार के सभी सदस्यों का विवरण ऑनलाईन भर सकता है। इसके उपरांत परिवार के मुखिया के आधार कार्ड व राशन कार्ड की छायाप्रति को अपलोड कर कार्ड बनवाने की तिथि एवं समय का चयन करें। ऑनलाईन पेमेंट कर इसकी रसीद का प्रिंट ले सकते हैं जिसके आधार पर परिवार के साथ नामांकन/पंजीकरण केंद्र जाकर सभी के फोटो व अंगूठे के निशान देकर लाभार्थी अपना स्मार्ट कार्ड तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। मंडी जिला के लिए नामांकन केंद्र जोनल अस्पताल मंडी निर्धारित किया गया है जहां सोमवार से शनिवार सुबह 10.00 बजे से सायं पांच बजे तक नामांकन करवाया जा सकता है। रविवार व सार्वजनिक अवकाश के दौरान केंद्र बंद रहता है।

योजना के अंतर्गत अस्पताल में बिना दाखिल हुए ऑपरेशन संबंधी सेवा केवल दिन भर के लिए (डे केयर सर्जरी) शामिल है। एक हजार रुपए प्रतिवर्ष की सीमा तक परिवहन व्यय तथा गंभीर बिमारी में 3 हजार रुपए प्रतिवर्ष परिवहन व्यय देय है। उपचार के दौरान जांच, दवाईयां एवं भोजन इत्यादि का व्यय भी अस्पताल वहन करेगा। अस्पताल में भर्ती होने के एक दिन पूर्व व छुट्टी होने के पांच दिन बाद तथा गंभीर बिमारी में 15 दिन पूर्व व छुट्टी होने के 60 दिनों का व्यय भी इस योजना के अंतर्गत देय है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री दूरभाष नंबर 1800 200 6544 तथा व्हट्स एप्प 9711035378 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

क्या क्या हो जाता है 59 मिनट में साहेब?

-पुण्य प्रसून वाजपेयी-

ध्यान दीजिये हो यही रहा है। सीबीआई के लिये कोई कानून है ही नही। कांग्रेस ने सीबीआई के जरीये काम कराये। तो मोदी सत्ता खुद ही सीबीआई बन गई। रिजर्व बैंक की नीति को मनमोहन सिंह के दौर में आवारा पूंजी के साथ खड़े होने की खुली छूट दी गई। कॉरोपरेट की लूट को हवा मनमोहन सिंह के दौर में बखूबी मिली। लेकिन मोदी सत्ता के दौर में सत्ता ही कॉरपोरेट हो गई। यानी कल तक जिन माध्यम के आसरे सत्ता निरकुंश या मनमानी करती थी वह आज खुद ही हर माध्यम बन रही है।

प्रधानमंत्री ने जैसे ही एलान किया कि अब छोटे व मझौले उद्योगों (एमएसएमई) को 59 मिनट में एक करोड़ तक का कर्ज मिल जायेगा। वैसे ही एक सवाल तुरंत जहन में आया कि देश में एक घंटे से कम में क्या क्या हो जाता है। सरकारी आंकडों को ही देखने लगा तो सामने आया कि हर आंधे घंटे में एक किसान खुदकुशी कर लेता। हर 15 मिनट में एक बलात्कार हो जाता है। हर सात मिनट में एक मौत सड़क हादसे में हो जाती है। हर मिनट प्रदूषण से 4 से ज्यादा मौत हो जाती है। दूषित पानी पीने से हर दो मिनट में एक मौत होती है। इलाज ना मिल पाने की वजह से हर पांच मिनट में एक मौत हो जाती है। हर बीस में किसी एक के डूबने से मौत हो जाती है। आग लगने से हर तीस मिनट में एक मौत हो जाती है। हर बीस मिनट में तो जहर से भी एक मौत होती है। हर 12 वें मिनट दलित उत्पीड़न की एक घटना होती है। हर तीसरे सेंकेंड महिला से छेड़छाड़ होती है। यानी एक घंटे से कम 59 मिनट में एक करोड़ का लोन आकर्षित करने से ज्यादा त्रासदीदायक इसलिये लगता है क्योंकि पटरी से उतरे देश में कौन सा रास्ता देश को पटरी पर लाने के लिये होना चाहिये उस दिशा में ना कोई सोचने को तैयार है ना ही किसी के पास पॉलिटिकल विजन है। यानी सत्ता चौंकाती है। सत्ता अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहती है। सत्ताअपने होने के एहसास को जनता पर लादना चाहती है। जनता कभी इस हाथ कभी उस हाथ लुटे के सियासी रास्ते बनाने में ही पांच बरस गुजार देती है। और ये बरसों बरस से हो रहा है। तो निराशा होगी। ऐसे में मौजूदा सत्ता ने निराशा और आशा के बीच उस कील को ठोंकना शुरु किया है जिसमें राजनीतिक सत्ता पाने के तौर तरीके पारंपरिक ही रहे। लेकिन सत्ता के तौर तरीके अपने तंत्र को ही राष्ट्रीय तंत्र बना दे।

यानी सवाल ये नहीं है कि 59 मिनट में एक करोड़ का लोन मिल जाये। कानून बनाकर भीड तंत्र पर नकेल कसने की बात की जाये। रिजर्व बैंक को राजनीतिक तौर पर अमल में लाने के लिये पुरानी विश्व बैंक या आईएमएफ की धारा को बदलने की जरुरत बताने की कोशिश की जाये। पुलिस-जांच एंजेसी की अराजकता को उभार कर सत्ता नकेल कसने के लोकप्रिय अंदाज को अपना लें। ध्यान दीजिये तो सत्ता अपनी मौजूदगी देश के हर उस छेद को बंद कर दिया जाये या रफू करने के नाम पर ये कहकर कर रही है। लेकिन सत्ता की मौजूदगी हर छेद को और बड़ा कर दे रही है। तो क्या ये रास्ता उस संघर्ष की दिशा में जा रहा है, जहां जनता को राहत के लिये राजनीतिक सत्ता की तरफ ही देखना पड़े और सत्ता पहले की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाये। यानी चुनावी लोकतंत्र ही हिन्दुत्व हो। वही समाजवाद हो। वही विकास का प्रतीक हो। वही सेक्यूलर हो। वही सबका साथ सबका विकास का जिक्र करें। पहली सोच में ये असंभव सा लग सकता है लेकिन सत्ता के तौर तरीकों से ही समझे तो इस धारा को समझने में मुश्किल नहीं होगी।

याद कीजिये मोदी सरकार का पहला बजट । कारपोरेट / उद्योगों के लिये रास्ता खोलता बजट। भाषण देते वक्त वित मंत्री ये कहने से नहीं चूकते कारपोरेट और इंडस्ट्री के पास धंधा करने का अनुकुल रास्ता बनेगा तो ही किसान-मजदूरों के लिये उनके जरीये पूंजी निकलेगी। फिर दूसरा बजट जिसमें उद्योग और खेती में बैलेंस बनाने की बात होती है। लेकिन खेती को फिर भी कल्याण योजनाओं से ही जोड़ा जाता है। और तीसरे बजट में अचानक किसानों की याद कुछ ऐसी आती है कि कारपोरेट और इंडस्ट्री से इतर एनपीए का घड़ा यूपीए सरकार के माथे फोड कर मुश्किल हालात बताये जाते हैं। और चौथे बजट में मोदी सरकार किसानों की मुरीद हो जाती है और लगता है कि देश में चीन की तरफ कृषि क्रांति की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। लेकिन बजट के बाद सभी को समझ में आ जाता है कि सरकार का खजाना खाली हो चुका है। इक्नामी डावाडोल है। और पांचवे बरस सिर्फ बात बनाकर ही जनता को मई 2019 तक ले जाना है। यानी बजट भाषण और बजट में अलग अलग मद में दिये गये रुपयों को ही कोई पढ़ लें तो समझ जायेगा कि 2014 में जो सोचा जा रहा था वह 2018 में कैसे बिलकुल उलट गया। तो ऐसे में फिर लौटिये 59 मिनट में एक करोड तक के लोन पर । संघ के करीबी गुरुमुर्त्ती ने रिजर्व बैंक का डायरेक्टर बनने के बाद बैंकों की कर्ज देने की पूर्व और पारंपरिक नीति को सिर्फ इस आधार पर बदल दिया कि कारोपरेट और उद्योगपति अगर कर्ज लेकर नहीं लौटाते हैं तो फिर छोटे और मझौले इंडस्ट्री को भी ये हक मिलना चाहिये। यानी देश में उत्पादन ठप पडा है। नोटबंदी के बाद 50 लाख से ज्यादा छोटे-मझोले उद्योग बंद हो गया। असंगठित क्षेत्र के 25 करोड लोगों पर सीधा तो 22 करोड़ लोगों पर अप्रत्यक्ष तौर पर कुप्रभाव पडा। यानी एक करोड के कर्ज को इसलिये बांटने का प्रवधान बनाया जा रहा है जिससे देश की लूट में हिस्सेदारी हर किसी को हो। ये हिस्सेदारी जनधन से शुरु होकर स्टार्ट-अप तक जाती है। यानी बैंकों से मोदी नीति के नाम पर रुपया निकल रहा है लेकिन वह रुपया ना तो वापस लौटेगा और ना ही उस रुपये से कोई इंडस्ट्री, कोई उघोग, कोई स्टार्ट-अप शुरु हो पायेगा। बल्कि बेरोजगारी और ठप इक्नामी में राहत के लिये बैंकों को बताया जा रहा है कि सभी को रुपया बांटो।

क्योकि जनता में गुस्सा ना हो। और जिसमें गुस्सा हो उसे दबाने के लिये मोदी नीति से राहत पाया शख्स ही बोले। यानी आर्थिक नीति कौन सी है? स्वायत्त संस्थाओ का काम क्या है। क्योकि कानून के दायरे में काम होता नहीं और जहा कानून है वहा भीडतंत्र काम करते हुये नजर आता है। ऐसा नहीं है कि सारी गडबडी मोदी सत्ता के वक्त ही हुई। लेकिन पारंपरिक गडबडियो के आसरे ही सत्ता अगर देश चलाने लगेगी तो फिर गड़बडियां या अराजक हालात ही गवर्नेंस कहलायेगी। ध्यान दीजिये हो यही रहा है। सीबीआई के लिये कोई कानून है ही नही। कांग्रेस ने सीबीआई के जरीये काम कराये। तो मोदी सत्ता खुद ही सीबीआई बन गई। रिजर्व बैंक की नीति को मनमोहन सिंह के दौर में आवारा पूंजी के साथ खड़े होने की खुली छूट दी गई। कारोपरेट की लूट को हवा मनमोहन सिंह के दौर में बाखूबी मिली। लेकिन मोदी सत्ता के दौर में सत्ता ही कारपोरेट हो गई। यानी कल तक जिन माध्यम के आसरे सत्ता निरकुंश या मनमानी करती था वह आज खुद ही हर माध्यम बन रही है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कभी करप्ट और अपराधियों के आसरे सत्ता में आया जाता था। पर धीरे धीरे करप्ट और आपराधिक तत्व चुनाव लड जितने लगे और खुद ही सत्ता बन गये। तभी तो देश में कानून या नीतियां बनती कैसे हैं, उसका एक नजारा ये भी है कि दिल्ली की निर्भया रेप कांड के बाद कड़ा कानून बना लेकिन बरस दर बरस रेप बढ़ते गये। 2013 में निर्भया कांड का बरस, 33,707 रेप हुये तो 2017 में बढते बढते चालिस हजार पार कर गये। इसी तरह शिक्षा के अधिकार पर कानून। भोजन के अधिकार पर कानून , दलित अत्याचार रोकने पर कानून से लेकर 34 क्षेत्र के लिये बीते 10 बरस यानी 2009 के बाद कानून बना। लेकिन कानून बनने के बाद घटनाओ में तेजी आ गई। ज्यादा बच्चें स्कूल छोडने लगे। आलम ये है कि स्कूलो में दाखिला लेने वाले 18 करोड बच्चों में से सिर्फ 1 करोड 44 लाख बच्चे ही बारहवीं की परीक्षा दे पाते हैं। दो जून की रोटी के लाले ज्यादा पडे। हालात ये है कि 20 करोड लोगों तक 2013 में बना भोजन का अधिकार पहुंच ही नहीं पाया है। यहा तक की मनरेगा का काम भी गायब होने लगा। तो फिर इस कडी में कोई भी ये सवाल भी कर सकता है कि जब गवर्नेंस गायब है। पॉलिसी पैरालाइसिस है। या सबकुछ है और सबकुछ का मतलब ही सत्ता है तो फिर? तो फिर का मतलब यही है कि सत्ता पर निगरानी के लिये लोकपाल और लोकायुक्त कानून भी 16 जनवरी 2014 को बना था और उसके बाद सत्ता तो नहीं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग तरीके से पांच बार सत्ता से पूछा, लोकपाल का क्या हुआ। और सुप्रीम कोर्ट के तेवर और सत्ता की मस्ती देखिये। सुप्रीम कोर्ट 23 नवंबर 2016 को कहता है लोकपाल की नियुक्ति में देरी क्यों? फिर 7 दिसबंर 2016 को पूछता है लोकपाल की नियुक्ति के लिये अब तक क्या हुआ? फिर 27 अप्रैल 2017 को निर्देश देता है, लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया को अटकाया ना जाये। उसके बाद 17 अप्रैल 2018 को कहता है, लोकपाल की नियुक्ति जल्द से जल्द हो। और 2 जुलाई 2018 को तो सीधे कहता है, 10 दिन में बताए कब तक बनेगा लोकपाल? और 2 जुलाई के बाद देश में स्वायत्त संस्था से लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। यानी संकेत साफ है जब सत्ता संविधान की व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट को टरका सकती है और खुद को ही सीबीआई, सीवीसी, रिजर्व बैक से लेकर चुनाव आयोग में तब्दील कर सकती है तो उसमें आपकी क्या बिसात?

'स्वस्थ हिमाचल' के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री निरोग योजना शुरू

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमण्डल ने राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 से 15 दिसम्बर, 2018 तक बुलाने के लिए अपनी संस्तुति भेजने का निर्णय लिया। सत्र के दौरान छः बैठकें होंगी।

बैठक में 'स्वस्थ हिमाचल' के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री निरोग योजना शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की। यह योजना प्रदेश में सभी आयु वर्ग के स्थायी नागरिकों पर लागू होगी तथा इसका उद्देश्य लम्बी अवधि की बीमारियों की मूलभूत स्वास्थ्य जांच करके शीघ्र निदान सुनिश्चित करना है।

मंत्रिमण्डल ने निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम-2013 को अधिक आसान बनाने को मंजूरी प्रदान की ताकि बजट आश्वासन के अनुसार प्रदेश में अधिक निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके। अब आम जनता के आपत्ति व सुझावों को आमंत्रित करने के लिए संशोधित नियमों को अधिसूचित किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने अस्थायी पुलिस चौकी धबोटा को पुलिस स्टेशन नालागढ़ के अन्तर्गत स्थायी पुलिस चौकी बनाने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टाण्डा के सुपर स्पेशिलिटी विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर विभिन्न श्रेणियों की भर्ती जिसमें नर्सों के 144 पद भी शामिल हैं को भरने की मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ सांईसिज नेर चौक को क्रियाशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों जिनमें कुलपति, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक तथा फाईनेंस ऑफिसर को भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने विश्वविद्यालय के बेहतर संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन व भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में खोले गए मेडिकल कॉलेजों में काडर निर्माण के लिए नीति के प्रारूप को भी मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने हमीरपुर जिले में हिमुडा द्वारा समेकित आवास एवं सल्म विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित 72 फ्लैटों को डॉ. राधा कृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर को प्रदान करने की भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने हि.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रधानाचार्य (कॉलेज काडर) के 25 पदों को सीधी भर्ती के आधार पर भरने की अनुमति दी।

बैठक में पंचायत सहायक पदनाम को समाप्त करने तथा बदल कर पंचायत सचिव (अनुबन्ध) करने तथा उन्हें सरकारी नीति के अनुरूप नियमित करने का भी निर्णय लिया। उन्हें प्रतिमाह कम से कम 9710 का वेतन उपलब्ध करवाया जाएगा और ग्राम पंचायतों में अनुबन्ध आधार पर 300 पद पंचायत सचिवों के भरने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने सार्वजनिक निजी सहभागिता आधार पर सोलन जिले के बद्दी में समेकित ठोस कचरा प्रबन्धन प्रोजैक्ट स्थापित करने के लिए मै. जे. बी.आर. टैक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड को सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले के उप स्वास्थ्य केन्द्र लगडू को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्तरोन्नत करने व आवश्यक पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से 20,500 से अधिक की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों के सृजन व भरने को दी मंजूरी।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिले की कण्डाघाट स्थित कम्पोजिट टेस्टिंग लेबोटरी में विभिन्न श्रेणियों के 19 पदों को (नियमित आधार पर भरे जाने तक) आउट सोर्स आधार पर भरने की मंजूरी दी।

मंत्रिमण्डल ने किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा लाभान्वित करने के लिए मण्डी जिले के बगस्याड़ में उप मण्डलीय मृदा संरक्षण कार्यालय को पांच पदो के सृजन के साथ स्थापित करने की प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने उच्च शिक्षा में सुधार व गुणवता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के गठन का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने यह निर्णय लिया कि विशेषकर पैट्रोलियम कम्पनियों को पैट्रोल व डीजल में मिलाने के लिए इथानोल लाने ले जाने पर किसी परमिट व पास की आवश्यकता नही होगी तथा कोई निर्यात और आयात शुल्क या काराधान शुल्क भी नही लगेगा।

मंत्रिमंडल राज्य परियोजना अवलोकन एवं नवीन प्रयास इकाई एवं राजकीय महाविद्यालयों में उत्कृष्ठता, दक्षता एवं स्वरोजगार पोषण केन्द्र स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की। इससे शिक्षित युवाओं को प्रतिष्ठित उद्योगों एवं संस्थानों में प्लैसमेंट दिलाने में मद्द मिलेगी।

चिंतपूर्णी धाम के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृतः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रसिद्ध माता चिंतपूर्णी धाम के विकास तथा पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए शीघ्र ही 50 करोड़ रुपये की परियोजना मंजूर की जाएगी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ऊना जिला के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज अम्ब में विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि चिंतपूर्णी मन्दिर एक विश्व प्रसिद्ध मन्दिर है जहां वर्षभर लाखों श्रद्धालु एवं पर्यटक आते हैं। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के अन्तर्गत आगन्तुकों की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस धार्मिक स्थान पर आने वाले पर्यटकों और भक्तों की सुविधा के लिए एक हेलीपैड भी बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार विधानसभा चुनावों में 48 प्रतिशत वोट प्राप्त करके सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार लोगों की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 10 महीनों की अल्पावधि के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाएं आरम्भ की है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश का सौभाग्य है कि केन्द्रीय नेतृत्व हिमाचल प्रदेश के लोगों के विकासात्मक आकांक्षाओं के लिए सहानुभूति रखता है तथा केन्द्र से राज्य के लिए 9000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी केन्द्रीय परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जाएगा ताकि राज्य के लोग इन परियोजनाओं का लाभ उठा सकें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के 10 महीने के कार्यकाल के दौरान उन्होंने राज्य की 56 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है ताकि राज्य के प्रत्येक क्षेत्र व वर्ग का सन्तुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार बिना बदले की भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य राजनीतिक कारणों से प्रतिशोध की भावना से कार्य करने का नही है लेकिन किसी भी तरह के भ्रष्टाचार मे लिप्त व्यक्ति को नही बक्शा जाएगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस वित्त वर्ष के बजट में 30 नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए गृहिणी सुविधा योजना तथा मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना का उद्देश्य महिलाओं व युवाओं का सशक्तिकरण तथा जन मंच कार्य का उद्देश्य आम जनता की शिकायतों का निवारण उनके घरद्वार के निकट सुनिश्चित बनाया है। उन्होंने कहा कि लड़कियों तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य में गुड़िया हेल्पलाईन शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए होशियार सिंह हेल्पलाइन शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं से हिमाचल प्रदेश देश के सबसे विकसित राज्य के रूप में उभरेगा।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने 16.15 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले भरवाई-चिन्तपूर्णी, पक्का-टयाला सड़क की आधारशिला रखी। इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र के 13000 लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने किन्नू-गुरेट सड़क व 3.47 करोड़ रुपये की लागत से गौर खड्ड बनने वाले पुल, 6.87 करोड़ रुपये की लागत से कलरूही खड्ड पर बनने वाले पुल तथा कलरूही-मथेड़-लोहारा सम्पर्क सड़की की आधारशिला रखीं।

इसके उपरान्त मुख्यमंत्री ने 3.35 करोड़ रुपये की लागत से कुथरा-खेरला में ग्राम पंचायत नेहरी-नोरंगा के लिए उठाऊ जलापूर्ति योजना की आधारशिला रखी।

मुख्यमंत्री ने नागरिक अस्पताल अम्ब को 30 बिस्तरों से 100 बिस्तरों की क्षमता के अस्पताल बनाने की

घोषणा की। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सुहानी और शीतला को 10 बिस्तर उपलब्ध करवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अम्ब में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने के मामले को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से उठाएगी। उन्होंने कहा कि अम्ब में मिनी सचिवालय तथा इण्डोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने अम्ब विधानसभा क्षेत्र के लिए मेगा फूड पार्क के निर्माण की भी घोषणा की। उन्होंने क्षेत्र के लिए 15 ट्यूब वैल व 25 हैण्डपम्प स्थापित करने की भी घोषणा की। उन्होंने क्षेत्र की दो सड़कों के निर्माण के लिए 10-10 लाख रुपये की राशि देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अम्ब स्थित विश्राम गृह का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अम्ब में ट्रॉमा सेन्टर की स्थापना के मामले को केन्द्र सरकार के साथ उठाया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री को विभिन्न सामाजिक, सांस्कृति व राजनीतिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों ने सम्मानित किया।

चिन्तपूर्णी मन्दिर ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा जिला उपायुक्त राकेश प्रजापति ने ट्रस्ट की तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष में 20 लाख रुपये का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया। विभिन्न व्यक्तियों, संगठनों और गैर सरकारी संगठनों ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री को चेक भेंट किया।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने मॉ चिन्तपूर्णी मन्दिर का दौरा किया तथा पूजा अर्चना की। राज्य भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार के साढ़े चार वर्ष के शासनकाल में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है। उन्होंने कहा कि आज भारत केन्द्र सरकार की विकासात्मक नीतियों के कारण दुनिया में एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि राज्य में भी सरकार लोगों के कल्याण के लिए अथक प्रयास कर रही है, जिससे कि राज्य देश के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श राज्य बन सके।

सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए उदार आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए 25 नए राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किए गए है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए फोरलेन परियोजनाओं की भी स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इन सभी परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि ऊना जिले के सलोह में 300 करोड़ रुपये की लागत से आईआईआईटी का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्वीकृत किया गया है, जिसका बिलासपुर जिले के कोठीपुरा में निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि धर्मशाला में एक विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियमों में जाना जाता है।

हिमुडा के उपाध्यक्ष प्रवीन शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अम्ब अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर खोलने का आग्रह किया।

चिन्तपूर्णी के विधायक बलबीर चौधरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल के दौरान उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए 155 करोड़ रुपये का आवंटन विकासात्मक कार्य के लिए हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछली राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान यह क्षेत्र उपेक्षित था। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने अम्ब को नगर परिषद् का दर्जा प्रदान करने का भी आग्रह किया।

बागवानी गतिविधियों के लिए वरदान राज्य सरकार की योजनाएं

पिछले दस महीनों की अवधि में प्रदेश सरकार ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए हैं जिसके फलस्वरूप कृषि एवं बागवानी उत्पादों की उत्पादकता में बढ़ोतरी के साथ – साथ किसानों और बागवानों को लाभप्रद मूल्य और अच्छी विपणन सुविधा सुनिश्चित हुई है।

इस अवधि के दौरान एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अन्तर्गत संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के दृष्टिगत 48,297 वर्गमीटर अतिरिक्त क्षेत्र को हरित गृह के अन्तर्गत और 5,75,229 वर्गमीटर क्षेत्र को ओला अवरोधक जालियों के अधीन लाया गया। इस दौरान मिशन के अन्तर्गत कुल 4820 कृषक बागवानों को लाभान्वित किया गया। फल बागीचों के बेहतर प्रबन्धन के लिए 1115 शक्तिचालित मशीनें, 57 जल भण्डारण टैंक और सात खुम्ब इकाईयों के निमार्ण के लिए भी उपदान उपलब्ध करवाया गया। बागवानी विभाग ने इस दौरान 16.84 लाख फल पौधे बागवानों को वितरित किए, जिनमें से पांच लाख पौधे सरकारी नर्सरी में तैयार किए गए। लगभग 4813.41 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बागवानी के अधीन लाया गया है।

खुम्ब उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है राज्य सरकार

प्रदेश में मौनपालन को बागवानी की सहायक गतिविधि तथा स्वरोजगार के साधन के रूप में प्रोत्साहित किया गया है। विभागीय मौनपालन केंद्रों में

6.08 मी.टन और राज्य में 1,009.29 मी.टन का उत्पादन किया गया। खुम्ब उत्पादन को भी व्यापक स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है और वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 10,961 मी.टन उत्पादन किया जा चुका है। फलदार पौधों में कीट – व्याधियों के नियन्त्रण के लिए फल उत्पादकों को 305.82 मी. टन पौध संरक्षण दवाईयां उपलब्ध करवाने पर 4.62 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया।

फल उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत सेब, आम तथा नीम्बू प्रजातीय फलों के लिए 367 प्रापण केन्द्र खोले गए हैं तथा इस दौरान बागवानों से 1589.66 लाख रुपये मूल्य का 21195. 56 मी. टन फल खरीदा गया।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत औद्यानिकी विकास की परियोजनाओं के लिए 350 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 353 शक्तिचालित और 303 हस्तचालित उपकरणों का वितरण किया जा चुका है।

प्रतिकूल मौसम या प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सेब, आम, आड़ू, पलम और नीम्बू प्रजातीय फलों के लिए राज्य के 110 विकास खण्डों में मौसम आधारित पुनर्गठित फसल बीमा योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत उक्त अवधि के दौरान 1,61,524 किसानों को कवर किया गया। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने बागवानी विभाग को 2.7 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

बागवानी के चहुंमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार की अनेक नई योजनाएं

प्रदेश में बागवानी विकास के लिए 1134 करोड़ रुपये की विश्व

बैंक पोषित हि.प्र. बागवानी विकास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना के अन्तर्गत बागवानों के 108 सम – शीतोषण एवं 28 उपोषणीय फलों के अंतर्गत समूह गठित किए गए है। बागवानी की आधुनिक तकनीक की जानकारी देने के लिए इस दौरान 58 विभागीय अधिकारियों को राज्य के बाहर प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त न्यूजीलैंड के विशेषज्ञों ने 320 विभागीय अधिकारियों व 501 बागवानों को इस दौरान प्रशिक्षित किया।

प्रदेश के बागवानों को सामयिक तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए एम:किसान योजना प्रारम्भ की गई जिसके अन्तर्गत 6,89,308 किसानों का पंजीकरण किया गया है ताकि बागवान अपनी समस्याओं का तत्काल समाधान प्राप्त करके सफलतापूर्वक फलोत्पादन कर सकें।

बागवानी के चहुंमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक नई योजनाएं आरंभ की हैं जिनमें 25 करोड़ रुपये की पुष्पक्रांति योजना दस – दस करोड़ रुपये लागत की मुख्यमंत्री हरितग्रह नवीनीकरण योजना, ओला अवरोधक जाली की स्थापना और मुख्यमंत्री मधु विकास योजना आदि शामिल हैं। प्रदेश के उपोषणीय क्षेत्रों में बागवानी विकास के लिए एशियन विकास बैंक की सहायता से 1688 करोड़ रुपये की परियोजना का प्रस्तावित हैं जबकि खुम्ब की कृषि के व्यापक विकास के लिए 423 करोड़ रुपये की खुम्ब विकास परियोजना भी केंद्र से स्वीकृत हो चुकी है।

बागवानी का राज्य की आय में 5000 करोड़ का योगदान

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 2.30 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बागवानी के अधीन

है और फल उत्पादन बढ़कर 10.38 लाख मी.टन हो गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में लगभग 100 करोड़ रुपये मूल्य के फूलों का उत्पादन हुआ। बागवानी का राज्य की वार्षिक आय में लगभग 3000 करोड़ रुपये से 5000 करोड़ रुपये तक का योगदान है तथा औसतन 9 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है।

पिता अपने दर्द की शिकायत किससे करें

यह मानव का नैसर्गिक स्वभाव है कि वह अपनी संतान को बड़े लाड़ प्यार से पालता है और कामना करता है कि यह संतान बुढ़ापे – बुरे दिनों में उसका सहारा बनेगी। जिन माता – पिता को पुत्र प्राप्ति हो जाती है वह अपने को धन्य मानते हैं और ईश्वर का आभार मानते हैं। स्वयं कष्ट में रहकर भी यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी संतान को कोई कष्ट न हो। भारतीय समाज में आज भी अधिकांश माता – पिता ईश्वर से पुत्र प्राप्ति का ही आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन जब यह पुत्र प्राप्ति ही कष्ट का कारक बन जाती है तब ऐसे माता – पिता की स्थिति क्या हो जाती है इसका अनुमान लगाना ही बहुत कष्टकारक हो जाता है। खास कर जब माता – पिता समाज में एक प्रतिष्ठित परिवार हो तब तो व्यक्ति समाज की लोकलाज से ही परेशान हो उठता है। आज समाज में ऐसे किस्से अक्सर मिल जाते हैं जहां संतान और माता – पिता में संपत्ति को लेकर झगड़े हो जाते हैं और कई बार तो यह उग्र रूप तक धारण कर लेते हैं। सरकार ने माता – पिता के भरण – पोषण के लिये कानून बना रखा है। यह भी कानून है कि जो संपत्ति पिता ने स्वयं अर्जित की हो उस पर सन्तान का स्वत: अधिकार नही होता। यह अधिकार केवल पुश्तैनी संपत्ति तक ही सीमित है। लेकिन क्या इन कानूनों की पूरी जानकारी आम आदमी को है? क्या सरकार इसका उचित प्रचार – प्रसार कर पायी है शायद नही। आज ऐसे माता – पिता का दर्द बांटने को कोई मंच उपलब्ध नही है जहां समाज के सामने यह कड़वे सच आयें और वह बेटे – बेटियां भी लोकलाज से अपने व्यवहार में अन्तर ला पायें। ऐसे माता – पिता का दर्द बांटने का प्रयास है यह कालम।

शहर के एक कारोबारी श्याम खन्ना ने अपना दर्द इस कालम के माध्यम से आपसे बांटने का प्रयास किया है। श्याम की 23 वर्ष की आयु में ही माता – पिता की ईच्छानुसार शादी हो गयी और 24 वर्ष में उन्हें पहली पुत्र प्राप्ति भी हो गयी। 1978 में दूसरा पुत्र रत्न मिल गया। श्याम दो पुत्र प्राप्ति पर अपने को सबसे खुश किस्मत मानने लगे। लेकिन जब छोटा बेटा तीन वर्ष का हुआ तब पता चला कि उसके दिल में छेद है यह पता लगने पर पीजीआई चण्डीगढ़ और दिल्ली में ईलाज करवाया। दोनों बेटों को प्रतिष्ठित स्कूल बीसीएस में पढ़ाया। फिर जब बड़ा बेटा नवमी कक्षा और छोटा सातवीं में आया तब पत्नी का ब्लड कैंसर के कारण देहान्त हो गया। लेकिन लड़कों की पढ़ाई बराबर जारी रखी। छोटा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा नही था इसलिये उसे एचपीएमसी की ऐजैन्सी ले दी। इसमें उसने चार लाख का घाटा कर दिया। इस घाटे के बावजूद उसको खड़ा करने आईटीसी की डिस्ट्रीब्यूशन ले दी। इसके लिये बैंक से दो करोड़ की लिमट अपनी मालरोड़ की दुकान धरोहर रख कर बनवा दी। अब तक वह शादी के लायक हो गया था और उसकी शादी करवा दी। होटल होली डे होम में शादी की रिसैप्शन दी। लेकिन शादी के बाद अचानक उसने बैंक की दो करोड़ की सारी लिमट खत्म कर दी और मुझे इसकी जानकारी तब लगी जब बैंक से नोटिस आ गया। दुकान बैंक के पास धरोहर के तौर पर गिरवी थी। दो करोड़ की अदायगी में मालरोड़ की यह प्रतिष्ठित दुकान हाथ से चली गयी। अब इस कारण मुझे अपनी गुजर – बसर चलाने के लिये सब्जी मण्डी में किराये की दुकान लेनी पड़ी है।

यही नही इस बेटे ने मेरे ऊपर कोर्ट में केस कर दिया कि मैं अवैध रूप से एक महिला के साथ रह रहा हूं। जबकि वह मेरी वाकायदा शादी करके लायी दूसरी पत्नी है। यह लड़का दस वर्ष से अपनी पत्नी के साथ मेरे ही मकान में बिना कुछ दिये रह रहा है। इसके इस तरह के व्यवहार से तंग आकर एक बार इसको मैने बेदखल कर दिया। परन्तु जब इसने माफी मांग ली तब इसे फिर से परिवार में वापिस कर लिया सोचा कि सुधर गया होगा। लेकिन मेरा यह मानना गलत साबित हुआ। इसने अब भी मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर रखा है।

ऐसे में मैं किस तरह के मानसिक तनाव में से गुजर रहा हूंगा इसका आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं। आज अपना यह दुख सबसे सांझी करते हुए मैं समाज और कानून से यह जानना चाह रहा हूं कि क्या इसी हशर के लिये हम सन्तान की कामना करते हैं। मैं जानता हूं कि आज यह अकेले मेरी ही कहानी नही है बल्कि हर तीसरा परिवार यह भोग रहा है। आज मैं अपना दर्द इसलिये सांझा कर रहा हूं ताकि जिस कानून के तहत माता – पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी बच्चों को दी गयी है वह कानून इस तरह की मानसिक पीड़ा से तो राहत दिलाये।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

क्या गणेश दत्त हिमफैड और लैण्डमार्क विवाद सुलझा पायेंगे

शिमला/शैल। हिमफैड और होटल लैण्ड मार्क के बीच पिछले ग्यारह वर्षो से चल रहा मानहानि का विवाद नये अध्यक्ष गणेशदत्त के लिये एक कसौटी बनने जा रहा है। होटल लैण्ड मार्क के खिलाफ मानहानि का

यह मामला हिमफैड ने 2007 में दायर किया था। 2017 में लैण्ड मार्क की ओर से गोपाल मोहन ने हिमफैड से संपर्क करके इसमें समझौते की पेशकश की थी। इस पेशकश को जब बीओडी के सामने रखा गया तब बोर्ड ने परू विचार विमर्श के बाद इसे अस्वीकार कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक अब हिमफैड में नये अध्यक्ष और बोर्ड की नियुक्ति के बाद इसमें समझौते के प्रयास फिर से शुरू हो गये हैं। लेकिन इन प्रयासों पर यह सवाल उठ रहा है कि पिछले ग्यारह वर्षो से यह मामला प्रदेश उच्च न्यायालय में चल रहा है।अदालत की ओर से इसमें लोकल कमीशनर नियुक्त किया गया था। कमीशनर की रिपोर्ट हिमफैड के आरोप को प्रमाणित करती है। इस रिपोर्ट के बाद यह फैसला हिमफैड के पक्ष में आने की पूरी संभावना मानी जा रही है और यदि फैसला हिमफैड के हक में आ जाता है तो लैण्डमार्क को होटल में आने के लिये बनाया रैंप तोड़ना पड़ता है। रैंप के टूटने से होटल के व्यापार पर असर पड़ेगा। इसलिये लैण्डमार्क अब इसमें समझौते के प्रयास कर रहा है ताकि रैंप न तोड़ना पड़े। दूसरी वर्तमान स्थिति में हिमफैड पर इसका

प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। संभवत: इसी को सामने रखकर हिमफैड बोर्ड ने समझौते से इन्कार कर दिया था। ऐसे में अब पिछले बोर्ड के फैसले को बदलकर लैण्डमार्क की पेशकश को स्वीकार करना नये बोर्ड के लिये एक संवदेनशील मुद्दा बन गया है।

स्मरणीय है कि जब 1986 में हिमफैड का निर्माण किया गया था तब इसके निर्माण से एक तिलक राज की 36.4 वर्ग गज ज़मीन का नुकसान हो गया था। इस नुकसान पर तिलक राज ने हिमफैड को 81000/- रूपये के हर्जाने का नोटिस दे दिया और दावा दायर कर दिया। इसके बाद 29-8-1986 को इसमें 48000 रूपये पर समझौता हो गया और तिलक राज ने यह 36. 4 गज जमीन हिमफैड के नाम करवा दी। इसके बाद 1989 में तिलक राज और हिमफैड में दफ्तर के सामने पड़ी खाली जमीन के उपयोग को लेकर फिर झगड़ा हो गया और 20-12-1995 को फिर समझौता हो गया और तिलक राज ने इसके उपयोग को हिमफैड को एनओसी दे दिया। इस समझौते के बाद 2002 में तिलक राज की मौत हो गयी और उसके वारिसों रणवीर शर्मा और अरूणा शर्मा ने यह संपत्ति 23-10-2002 मूल कृष्ण और गोपाल कृष्ण को बेच दी। इस बिक्री के बाद नये खरीदारों ने 20-12-1995 को तिलक राज के साथ हुए समझौते को मानने से इन्कार कर दिया और हिमफैड के सामने लोहे का गेट लगा दिया। इस गेट के लगने से हिमफैड और लैण्डमार्क में यह नया विवाद खड़ा हुआ है जो ट्रायल कोर्ट से होकर उच्च न्यायालय में 2007 में पहुंच गया और अब तक लंबित चल रहा है। हिमफैड और तिलक राज में समझौता 1995 में हो गया था और लैण्डमार्क के मालिकों ने यह संपत्ति 2002 में खरीदी यह मामला एक बार सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंच गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे उच्च न्यायालय में उठाने के निर्देश दिये थे।

ऊना के कार कारोबारी तुषार शर्मा को 27.40 करोड़ की करअदायगी का नोटिस जारी

शिमला/शैल। ऊना के एक लग्ज़री कारों के व्यापारी तुशार शर्मा मान्टी को प्रदेश के आबकारी एवम् कराधान विभाग ने 27.40 करोड़ की कर अदायगी का नोटिस जारी किया है। विभाग ने यह कारवाई एक शिकायत की जांच करने के बाद की है। कारोबारी के खिलाफ एक कर चोरी की शिकायत आयी और इस पर विभाग ने छ: टीमें बनाकर इसके विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापामारी की। इस छापामारी में 144 करोड़ के टर्नओवर और अपने तथा परिजनों के नाम कई परिसंपत्तियां बनाने का खुलासा सामने आया। यह खुलासा सामने आने के बाद 27.40 करोड़ का नोटिस भेजकर यह राशि एक माह के भीतर विभाग में जमा करवाने को कहा गया है। इस नोटिस के साथ ही विभाग ने जहां-जहां इस कारोबारी की परिसंपत्तियां चिन्हित हुई हैं वहां के तहसीलदारों को भी यह निर्देश दिये हैं कि वह इस कारोबारी की परिसंपत्तियों की तब तक बिक्री न होने दें जब तक की यह व्यक्ति सरकारी पैसे का पूरा-पूरा भुगतान नही कर देता है।

तुषार शर्मा प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य निदेशक आर.के.शर्मा के बेटे हैं और 2001-02 में इन्होंने ऊना के रक्कड़ कॉलोनी में मोटर वेज के नाम से अपना कारोबार शुरू किया था। उसके बाद 2002 में इन्होने हौण्डा, शैवरलेट और टोयटा की ऐजैन्सीयां ले ली। ऊना, कांगड़ा के नगरोटा बगवां, हमीरपुर और सोलन तक अपना कारोबार फैला लिया। इसी बीच एक तेल निर्माण का उद्योग भी स्थापित कर लिया। तुशार शर्मा के कांग्रेस और भाजपा दोनों के कई बड़े नेताओं से बहुत ही करीबी रिश्ते रहे हैं। बल्कि एक समय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती के भतीजे ऊमंग ठाकुर ने भी इन्हे काफी सहयोग प्रदान किया है। बल्कि एक बार जब इनकी गाड़ी से एक बच्चा टकराकर जख्मी हो गया था और आपराधिक मामला दर्ज होने की नौबत आ गयी थी तब इन्हीं राजनीतिक संपर्को के चलते एक लाख देकर इस मामले को रफा-दफा किया गया था।

इस परिदृश्य में अब यह सवाल उठता है कि विभाग ने शिकायत आने के बाद तो यह कारवाई करते हुए नोटिस दे दिया जिसका सीधा सा अर्थ है कि यदि अब भी शिकायत न आती तो शायद अभी तक कुछ न होता। यहां पर कारोबारी से ज्यादा तो विभाग की अपनी कारवाई पर सवाल खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जो अदायगी गाड़ी की ऐजैन्सी लेकर उसकी खरीद-फरोख्त का काम कर रहा है वह अपनी बिक्री को छिपा कैसे सकता है क्योंकि जो गाड़ियां आ रही हैं वह निश्चित रूप से रिकार्ड पर दर्ज होंगी। जब दूसरे प्रदेश से यहां प्रदेश में सामान आता है तब वह बैरियर पर दर्ज होता है और यह कारवाई यही कराधान विभाग करता है। फिर जब गाड़ी बिकती है तब भी वह सरकार के रिकार्ड पर आती है। ऐसे में यदि आज विभाग के मुताबिक इतनी टैक्स की चोरी पकड़ी गयी है तब क्या विभाग ने अपने यहां इसकी जांच पड़ताल की कि उसके संज्ञान में यह सब पहले क्यों नही आया? कया इसमें विभाग की कार्यप्रणाली पर अपने मे ही सवाल खड़े नहीं होते हैं? क्या कहीं ऐसा तो नही है कि कुछ बड़े लोगों ने भी इस कारोबारी से गाड़ियां खरीदी हैं और उसमें उन्हें काफी रिवेट दे दिया गया हो। विभाग ने अभी कर अदायगी का नोटिस ही जारी किया है। इस नोटिस का जवाब देकर इसको चुनौती भी दी जा सकती है विभाग के आकलन पर सवाल उठ सकते हैं। फिर कारोबारी ने यह कर अदा करने से अभी तक मना नही किया है। ऐसे में विभाग द्वारा कराधान अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लेकर कारोबारी और उसके परिजनों की सम्पतियों की बिक्री पर रोक लगा दिये जाने को अलग ही अर्थो में देखा जा रहा है। वैसे अभी तक संबंधित क्षेत्रों के तहसीलदार कार्यालयों में ऐसे निर्देश पहुंचने की पुष्टि नही हो पायी है।

जिंदान हत्याकांड के बाद मुआवजे से मुंह फेरा जयराम सरकार ने

शिमला/शैल। दलित शोषण मुक्ति मंच ने सिरमौर में दलित नेता व आरटीआई कार्यकर्ता केदार सिंह जिंदान की दिन दहाड़े हत्या के बाद सरकार की ओर से मुआवजे व बाकी मांगों को लेकर सरकार की ओर से मुंह फेर लेने के खिलाफ आंदोलन करने का एलान किया है।

मंच के समन्वयक ओम प्रकाश भारती ने कहा कि 8 दिसंबर को राजधानी शिमला में दलित शोषण मुक्ति मंच एक राज्यस्तरीय अधिवेशन करेगी। जिसमें प्रदेश में दलित उत्पीड़न की समस्याओं के खिलाफ एक रणनीति बनाई जाएगी। इस अधिवेशन में देश की वमपंथी नेता व पूर्व सांसद सुभाषिनी अली सहगल शिरकत करेगी।

भारती ने कहा कि जिन्दान की हत्या के बाद राज्य सरकार ने जिन्दान के परिवार को उचित मुआवजा, एक व्यक्ति को नौकरी और जिन्दान की बेटियों को मुफ्त शिक्षा का वायदा किया था। जिससे आज हिमाचल की भाजपा सरकार मुहं फेरे हुए है। मंच शीघ्र ही इस पर लामबंदी करते हुए घोषित मुआवजे को देने के लिए आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि ये वादा खिलाफी है।

इसके अलावा प्रदेश में दलित शोषण मुक्ति मंच दलितों के शोषण के खिलाफ और उनकी जायज मांग को लेकर आम दलितों को एक मंच प्रदान करेगा। इस बावत राजधानी शिमला में एक बैठक आयोजित की गई।

भारती ने कहा कि 1956 में देश के दलितों, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों, के लिए संवैधानिक आरक्षण शुरू किया गया। आज देश के 31 मंत्रालयों की ओर से 584 स्कीमें चलाकर इन्हें आरक्षण देने की बात की जा रही है। 2018-19 के वित्तवर्ष में केंद्र सरकार की ओर से लगभग 95 हजार करोड़ के कार्यो को करने की बातें की जा रही हैं। लेकिन जमीन पर कुछ भी लागू ही नही किया गया। आरक्षित वर्ग को इसका कितना फायदा हुआ किसी भी मंत्रलय या विभाग के पास इसका कोई जवाब ही नही है।

आज मंच की एक 25 सदस्यीय जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया जिसमें ओम प्रकाश भारती को समन्वयक व सुरेंद्र सिंह तनवर को सह समन्वयक चुना गया।